प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 70/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

नरेन्द्र सिंह राजपूत पित श्री भैरूसिंह राजपूत निवासीः सायरा, पोस्ट–सायरा, तहसील–गोगुन्दा, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा उदयपुर (राज.)

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/69/24/759–60 दिनांक 20.06.2024 से लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./आर.टी.आई/2024/796 दिनांक 11.07.2024 से अवगत कराया कि उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर एवं ऑनलाईन माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा तहसील गोगुन्दा व सायरा कार्यरत तहसीलदार सन् 2023 जनवरी से 2023 दिसम्बर तक जेसी किये गये 151 व अन्य धारा में तहसीलदार ओम सिंह लखावत द्वारा कितने व्यक्तियों को बिना हैसियत प्रमाणपत्र जेसी किया गया एवं अपने कार्यालय समय में कितने व्यक्तियों के पास से हैसियत प्रमाण पत्र मांगा गया की लिखित मे सूचना चाही गई है। कार्यालय में ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं कि किस तहसीलदार द्वारा कितने व्यक्तियों को जेसी किया गया। शेष सूचना के संबंध में निवेदन है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु./सू.अ.अ./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के परन्तु से स्पष्ट किया गया है कि–"परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो लोक अधिकारी के पास पहले से मौजूद हो।" सूचना की एक प्रति आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा रही

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

है। आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में नियमानुसार आवेदन कर राजस्व/अन्य अभिलेखो का निरीक्षण कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमों में तहसील सायरा में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का जिक्र किया गया है एवं साथ में ही ऑफलाईन प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जबकि तहसील कार्यालय सायरा में कोई आनलाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा भी अपने जवाब जरिये पत्रांक 796 दिनांक 11.07.2024 द्वारा निवेदन किया गया है कि उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर एवं ऑनलाईन माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं अपील तहसीलदार सायरा/गोगुन्दा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। ऑफलाईन प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय सायरा में प्राप्त नहीं होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। साथ ही तहसीलदार सायरा के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सृजित नहीं होने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलार्थी को किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार आवेदन कर राजस्व अभिलेख का निरीक्षण कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है।

चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त ही नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को चाहिए कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना का प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से कोई जवाब प्राप्त नहीं।

अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से कोई जवाब प्राप्त नहीं होने से तहसील गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी के चाहे अनुसार आपके कार्यालय में सृजित है तो अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा/सायरा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर